संख्या-52/2021/2423/77-3-2021-2(बजट)/21

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 नवम्बर, 2021

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता मद में उपलब्ध अवशेष धनराशि में से रू0 95,21,09,589/-की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1889/यूपीडा/गंगा/1325/लेखा, दिनांक 15.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 22-यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' में धनराशि रू0 163.62 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है सम्प्रति धनराशि रू0 104,55,15,068/-अवशेष है। अवशेष धनराशि में से हडको से लिये गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 01.09.2021 से 28.02.2022 तक रू0 95,21,09,589/- मात्र के ब्याज की देयता आगणित की गयी है। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में प्राविधानित अवशेष धनराशि में से रू0 95,21,09,589/- (रूपये पच्चानवे करोड़ इक्कीस लाख नौ हजार पांच सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी बल्कि जिस बैंक खाते से ऋण की धनराशि आहरित की गयी है उसी बैंक खाते में ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दि0 22.03.2021 तथा शा0 संख्या-2/2021/बी-3-138/ दस-2021-100(4)/2002 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ''2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-22-यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-52/2021/2423(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।